

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/1/2020

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संवादन एवं इस निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संवादन एवं इस निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय हेतु कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रुपया) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष 109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01 कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16 2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अगिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

12

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/64(अ/अ) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा 5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/64(अ/अ) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

[Handwritten signatures]